

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:-जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी- ७४५

दिनांक:- १९.६.२०१४

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 107वीं बैठक दिनांक 18.06.14 को प्रातः 10.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में 'चिन्तन सभा कक्ष' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर सलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :-

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		107:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14, 105वीं बैठक दिनांक 25.04.14 व 106वीं बैठक दिनांक 21.05.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 104, 105 व 106 की समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-	<p>भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 103वीं बैठक दिनांक 14.02.14, 104वीं बैठक दिनांक 28.02.14 व 105वीं बैठक दिनांक 25.04.14 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 104, 105 व 106 की समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्रस्ताव संख्या 104:2 के संबंध में दिनांक 30.06.14 तक कार्यवाही की जावे। प्रस्ताव संख्या 104:3 के संबंध में दिनांक 30.06.14 तक आवंटन पत्र जारी किया जावे। प्रस्ताव संख्या 104:4 के संबंध में आवंटन निरस्त करने के संबंध में माननीय न्यायालय का स्थगन होना उपायुक्त जोन-7 ने बताया। प्रकरण में प्रभावी पैरवी के निर्देश उपायुक्त को दिये गये। प्रस्ताव संख्या 104:4(1) मेजर महेश कुमार के संबंध में उपायुक्त ने बताया कि वित्रकूट योजना में रिक्त भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। आयुक्त महोदय द्वारा राजभवन योजना में भूखण्ड दिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत करने के निर्देश उपायुक्त जोन-13ए को दिये गये। प्रस्ताव संख्या 104:4(2) के संबंध में उपायुक्त जोन-13 द्वारा राज्य सरकार को दिनांक 30.06.14 तक पत्र लिखा जावे व 104:4(4) में को दिनांक 30.06.14 तक आरक्षण पत्र जारी किया जावे। प्रस्ताव संख्या 104:4(3) में दिनांक 30.06.14 तक आवंटन पत्र जारी किया जावे व 1012 वर्गमीटर भूमि का प्रकरण नीलामी हेतु अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) को भेजा जावे व प्रस्ताव संख्या 104:4(5) में राज्य सरकार को दिनांक 30.06.14 तक पत्र लिखा जावे। प्रस्ताव संख्या 105:2, 105:3, 105:4, 105:12 से 105:17 व 105:17(1) के संबंध में उपायुक्त जोन-13ए को दिनांक 30.06.14 तक लॉटरी निकाली जाकर दिनांक 10.07.14 को कैम्प आयोजित कर पट्टे दिये जावे। प्रस्ताव संख्या 105:11 में संस्था को पूर्व में जारी आवंटन को निरस्त करते हुये दिनांक 30.06.14 तक आवंटन पत्र जारी किया जावे। प्रस्ताव संख्या 106:2 के संबंध में उपायुक्त

अतिरिक्त निर्देशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				जोन-13ए को दिनांक 30.06.14 तक लॉटरी निकाली जाकर दिनांक 10.07.14 को कैम्प आयोजित कर पट्टे दिये जावे।
2.	13ए	107:2	श्रीमति बलकेश बानो पत्नि स्व. श्री मो. इकराम, शौर्य चक्र धारक शहीद, वार्ड नं. 33, दादाबाड़ी के पास, श्रीमालों का मौहल्ला, जिला झुञ्ज्हुनू, राज. को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	10. प्रस्ताव संख्या 106:3 व 106:4 में दिनांक 30.06.14 तक उपायुक्त जोन-7 द्वारा आवंटन पत्र जारी किया जावे। 11. प्रस्ताव संख्या 106:5 में दिनांक 30.06.14 तक विनिमय पत्र जारी करने के निर्देश उपायुक्त जोन-11 को दिये गये। 12. प्रस्ताव संख्या 106:6 में दिनांक 10.07.14 तक व 106:7 में दिनांक 30.06.14 तक आवंटन पत्र जारी करने के निर्देश उपायुक्त जोन-13 को दिये गये। 13. प्रस्ताव संख्या 106:7(1) व 106:7(2) में दिनांक 30.06.14 तक व प्रस्ताव संख्या 106:7(6) में दिनांक 10.07.14 तक आवंटन पत्र जारी किया जावे। 14. प्रस्ताव संख्या 106:7(7) में दिनांक 30.06.14 तक आवंटन पत्र जारी कर दिनांक 10.07.14 को कैम्प में पट्टा वितरित किया जावे। 15. प्रस्ताव संख्या 106:7(3), 106:7(4) व 106:7(5) में संबंधित उपायुक्त द्वारा दिनांक 10.07.14 तक आवंटन पत्र जारी किया जावे।
3.	13ए	107:3	राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्रीमति बलकेश बानो पत्नि स्व. श्री मो. इकराम, शौर्य चक्र धारक शहीद, वार्ड नं. 33, दादाबाड़ी के पास, श्रीमालों का मौहल्ला, जिला झुञ्ज्हुनू राज. को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर उपलब्ध 220 वर्गमीटर के रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	14	107:4	रोहिणी नगर तृतीय आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 1443 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर मौके पर बहाव क्षेत्र में आने के कारण	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निर्मांकित 12 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड आवंटन किया जावे। 1. श्री हनुमान सहाय शर्मा 2. श्री महेश बाबू शर्मा 3. श्रीमति आशा शर्मा 4. श्री विष्णु पाराशर 5. श्री कैलाश चन्द शर्मा 6. श्रीमति जसवीर कौर 7. श्री चैनरूप दायमा 8. श्री मुकेश कुमार गुप्ता 9. श्री धर्मराज शर्मा 10. श्री पुरणमल जाटव 11. श्री डोरीलाल शर्मा 12. श्री वीरेन्द्र कुमार
				जोन-13ए को दिनांक 30.06.14 तक लॉटरी निकाली जाकर दिनांक 10.07.14 को कैम्प आयोजित कर पट्टे दिये जावे।
2.	13ए	107:2	श्रीमति बलकेश बानो पत्नि स्व. श्री मो. इकराम, शौर्य चक्र धारक शहीद, वार्ड नं. 33, दादाबाड़ी के पास, श्रीमालों का मौहल्ला, जिला झुञ्ज्हुनू राज. को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर उपलब्ध 220 वर्गमीटर के रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया।	
3.	13ए	107:3	राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में 200 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	श्रीमति बलकेश बानो पत्नि स्व. श्री मो. इकराम, शौर्य चक्र धारक शहीद, वार्ड नं. 33, दादाबाड़ी के पास, श्रीमालों का मौहल्ला, जिला झुञ्ज्हुनू राज. को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निर्मांकित 12 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड आवंटन किया जावे। 1. श्री हनुमान सहाय शर्मा 2. श्री महेश बाबू शर्मा 3. श्रीमति आशा शर्मा 4. श्री विष्णु पाराशर 5. श्री कैलाश चन्द शर्मा 6. श्रीमति जसवीर कौर 7. श्री चैनरूप दायमा 8. श्री मुकेश कुमार गुप्ता 9. श्री धर्मराज शर्मा 10. श्री पुरणमल जाटव 11. श्री डोरीलाल शर्मा 12. श्री वीरेन्द्र कुमार
4.	14	107:4	रोहिणी नगर तृतीय आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 1443 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर मौके पर बहाव क्षेत्र में आने के कारण	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार निर्मांकित 12 शिक्षकों को पीताम्बरा आवासीय योजना में प्रत्येक को 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा समस्त रिक्त भूखण्डों में से लॉटरी द्वारा एक भूखण्ड आवंटन किया जावे। 1. श्री हनुमान सहाय शर्मा 2. श्री महेश बाबू शर्मा 3. श्रीमति आशा शर्मा 4. श्री विष्णु पाराशर 5. श्री कैलाश चन्द शर्मा 6. श्रीमति जसवीर कौर 7. श्री चैनरूप दायमा 8. श्री मुकेश कुमार गुप्ता 9. श्री धर्मराज शर्मा 10. श्री पुरणमल जाटव 11. श्री डोरीलाल शर्मा 12. श्री वीरेन्द्र कुमार

प्रति॰ अयुक्त (एल.वी.सी.)
ग्राम प्रवास विकास प्राधिकरण, जयपुर

			पर बहाव क्षेत्र में आने के कारण आवंटी द्वारा आवंटित भूखण्ड के स्थान पर अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटित करने वालत।	आवंटित भूखण्ड के स्थान पर अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन-14 द्वारा पूर्व आवंटित भूखण्ड के बहाव क्षेत्र में होने की रिपोर्ट की है तथा समान माप व समान रोड चौड़ाई पर रिक्त भूखण्डों की सूची प्रस्तुत कर एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर समान माप व समान चौड़ाई की सड़क पर रिक्त भूखण्डों में से एक नॉन कार्नर भूखण्ड जरिये लॉटरी विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
5.	14	107:5	रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत कन्शेसनायर मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेल प्रा० लि० को wayside amenities विकसित करने हेतु अनुबन्ध अनुसार लीज भूमि आवंटन करने वालत।	रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत कन्शेसनायर मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेल प्रा० लि० द्वारा wayside amenities विकसित करने के लिए अनुबन्ध अनुसार भूमि लीज पर आवंटन चाही है। उपायुक्त जोन-14 द्वारा रिंग रोड परियोजना के अनुमोदित मानचित्र में ग्राम रातल्या में चैनेज 31+500 पर 10025 वर्गमीटर भूमि अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेल प्रा० लि० को wayside amenities विकसित करने हेतु उक्त भूमि के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उपयोग की अनुज्ञा देने का निर्णय लिया गया। अनुज्ञा प्रथमतः 3 वर्ष के लिए दी जायेगी व आवश्यकता होने पर इसकी अवधि 2 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।
6.	9	107:6	रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत कन्शेसनायर मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेल प्रा० लि० को wayside amenities विकसित करने हेतु अनुबन्ध अनुसार जोन-9 क्षेत्र में ग्राम गोनेर में चैनेज 12+200 (LHS) पर 10030.75 वर्गमीटर भूमि लीज पर आवंटन करने वालत।	रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत कन्शेसनायर मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेल प्रा० लि० द्वारा wayside amenities विकसित करने हेतु अनुबन्ध अनुसार भूमि लीज पर आवंटन चाही है। उपायुक्त जोन-9 द्वारा रिंग रोड परियोजना के अनुमोदित मानचित्र में ग्राम गोनेर में चैनेज 12+200 (LHS) पर 10030.75 वर्गमीटर भूमि अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर मैसर्स सेनजोस सुप्रीम टोलवेल प्रा० लि० को wayside amenities विकसित करने हेतु उक्त भूमि के अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार उपयोग की अनुज्ञा देने का निर्णय लिया गया। अनुज्ञा प्रथमतः 3 वर्ष के लिए दी जायेगी व आवश्यकता होने पर इसकी अवधि 2 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।
7.	10	107:7	जविप्रा की योजना झालाना फेज-गा में भूखण्ड संख्या सी-65 के स्थान पर ऋषि गालव नगर योजना में भूखण्ड संख्या आई-731 का आवंटन वालत।	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री किशोरीलाल गुप्ता को झालाना फेज-गा में भूखण्ड संख्या सी-65 क्षेत्रफल 51.63 वर्गगज आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड किसी अन्य को आवंटित किये जाने से आवंटी को इसके स्थान पर ऋषि गालव नगर योजना का नॉन कार्नर भूखण्ड संख्या आई-731 क्षेत्रफल 50 वर्गगज विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
8.	(प्रति० आपूक्त विकास प्राधिकरण, जयपुर)	107:8	अधिशासी अभियन्ता (पी.एच.ई.-प्रथम) जविप्रा, जयपुर मदरामपुरा तहसील सांगानेर में सीवर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु 7650 वर्गमीटर भूमि आवंटन चाहा है। उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा के अनुसार ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 76 रकबा 1.89 हैक्टेयर में से 9150 वर्गमीटर रिक्त भूमि मौके पर उपलब्ध हैं। अतः उक्त में से 7650 वर्गमीटर भूमि अधिशासी अभियन्ता (पी.एच.ई.-प्रथम) जविप्रा, जयपुर को आवंटन	

9.	1	107:9	जविप्रा की योजना झालमा फेज-गा में भूखण्ड संख्या सी-65 के स्थान पर भूखण्ड संख्या सी-69 का आवंटन करने वावत।	करने का निर्णय लिया गया। शेष 1500 वर्गमीटर भूमि की प्लानिंग कराई जावे।
				जविप्रा की योजना झालमा फेज-गा में भूखण्ड संख्या सी-65 श्री पूनाराम रैगर को आवंटित किया गया था। उक्त भूमि का विक्रय श्री प्रदीप शर्मा को व तत्पश्यात् श्री घनश्याम गिगना व श्री सुरेश गिगना को हो गया। श्री गिगना को उक्त भूखण्ड का कब्जा भूमि के सार्वजनिक उपयोग में आने व मौके पर स्थानीय लोगों के विरोध के कारण नहीं दिया जा सका। अतः इन्हें भूखण्ड संख्या सी-65 के स्थान पर नॉन कार्नर भूखण्ड संख्या सी-69 विनिमय करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :-

10.	12	107:9(1)	विद्यानी शिक्षण समिति को विश्वविद्यालय हेतु आवंटित भूमि निरस्त आवंटन को बहाली वावत।	विद्यानी शिक्षण समिति को विश्वविद्यालय हेतु आवंटित भूमि का आवंटन दिनांक 07.04.14 को निरस्त किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर इसका अनुमोदन किया गया।
11.	13	107:9(2)	मानपुरा माचेडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० को कार्यालय एवं गौदाम हेतु निःशुल्क भूमि आवंटन वावत।	मानपुरा माचेडी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० को कार्यालय एवं गौदाम हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि संरक्षणिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा राज्य सरकार को करने का निर्णय एलपीसी की 102वीं बैठक दिनांक 03.10.13 में ले लिया गया है। संरक्षणिक निःशुल्क आवंटन चाहती है। नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति दिनांक 19.04.11 के प्रावधानानुसार प्राधिकरण आवासीय आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटन करने हेतु सक्षम नहीं है। पूर्व में भी निःशुल्क आवंटन हेतु राज्य सरकार को लिखा गया है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण राज्य सरकार को समर्त तथ्यों सहित प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
12.	13ए	107:9(3)	श्री लिम्बाराम अहारी पुत्र श्री थावरा जी अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन वावत।	श्री लिम्बाराम अहारी पुत्र श्री थावरा जी अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
13.	13ए	107:9(4)	श्री सुरेश सिंह सौलंकी पुत्र श्री रामरूप सिंह सौलंकी शौर्य चक्र धारक को राजभवन योजना में भूखण्ड आवंटन वावत।	श्री सुरेश सिंह सौलंकी पुत्र श्री रामरूप सिंह सौलंकी शौर्य चक्र धारक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार राजभवन योजना में 220 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर योजना में उपलब्ध रिक्त भूखण्डों में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
14.	13ए	107:9(5)	श्री प्रबुद्ध कुमार शर्मा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को भूखण्ड आवंटन वावत।	श्री प्रबुद्ध कुमार शर्मा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार पीताम्बरा योजना में 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन-13ए को निर्देशित किया

*उपायुक्त महोदय
विकास नियमिती
(एवं वी.सी.)
प्राधिकरण, जयपुर*

				गया कि समस्त रिक्त भूखण्डों में से जरिये लॉटरी भूखण्ड का चयन कर आवंटन पत्र दिनांक 30.06.14 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करे।
15.	13ए	107ज(6)	श्री खेम चन्द्र गुप्ता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	श्री खेम चन्द्र गुप्ता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार पीताम्बरा योजना में 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन-13ए को निर्देशित किया गया कि समस्त रिक्त भूखण्डों में से जरिये लॉटरी भूखण्ड का चयन कर आवंटन पत्र दिनांक 30.06.14 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करे।
16.	13ए	107ज(7)	श्री प्रभु दयाल गुप्ता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	श्री प्रभु दयाल गुप्ता राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार पीताम्बरा योजना में 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन-13ए को निर्देशित किया गया कि समस्त रिक्त भूखण्डों में से जरिये लॉटरी भूखण्ड का चयन कर आवंटन पत्र दिनांक 30.06.14 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करे।
17.	13ए	107ज(8)	श्री मदन लाल पारीक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को भूखण्ड आवंटन बाबत।	श्री मदन लाल पारीक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार पीताम्बरा योजना में 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन-13ए को निर्देशित किया गया कि समस्त रिक्त भूखण्डों में से जरिये लॉटरी भूखण्ड का चयन कर आवंटन पत्र दिनांक 30.06.14 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करे।
18.	13ए	107ज(9)	श्री श्रवण कुमार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दर्श 1986 में पुरस्कृत होने के फलस्वरूप पीताम्बरा आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	श्री श्रवण कुमार राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के प्रावधानानुसार पीताम्बरा योजना में 200 वर्गमीटर का नॉन कार्नर भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन-13ए को निर्देशित किया गया कि समस्त रिक्त भूखण्डों में से जरिये लॉटरी भूखण्ड का चयन कर आवंटन पत्र दिनांक 30.06.14 तक जारी किया जाना सुनिश्चित करे।
19.	11	107ज(10)	ग्राम सूरतपुरा में पशु चिकित्सालय एवं स्कूल के खेल मैदान हेतु भूमि आवंटन बाबत। <i>क्रांति अयुक्त एवं विधायक विभाग नगरपालिका विभाग</i>	प्रशासन गांवों के संग अभियान-2010 में ग्राम सूरतपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं. 130 रकबा 1.68 हैक्टेयर में से 0.10 हैक्टेयर भूमि पशु चिकित्सालय एवं 0.30 हैक्टेयर भूमि स्कूल के खेल मैदान हेतु आरक्षित की गई थी। उपायुक्त द्वारा उक्त भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। अतः 0.10 हैक्टेयर भूमि पशु चिकित्सालय एवं 0.30 हैक्टेयर भूमि स्कूल के खेल मैदान हेतु आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
20.	11	107ज(11)	ऑरिक रेजीडेंसी प्रा० लि० को निजी अनुमोदित आवासीय योजना ऑरिक विला के सुविधा क्षेत्र में क्लब हाउस हेतु आरक्षित 635.85 वर्गगज भूमि का आवंटन राजस्थान	ऑरिक रेजीडेंसी प्रा० लि० ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत निजी अनुमोदित आवासीय योजना ऑरिक विला के सुविधा क्षेत्र में क्लब हाउस हेतु आरक्षित 635.85 वर्गगज भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर चाहा है। समिति द्वारा

			टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत करने वालत।	विचार विमर्श कर 635.85 वर्गगज भूमि ऑरिक रेजीडेंसी प्रॉप्रो लिंग को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
21.	14	107 ⁹ (12)	आशियाना मंगलम् बिल्डर्स की निजी खातेदारी योजना गुलमोहर गार्डन्स के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में से कलब हाउस हेतु 2433 वर्गमीटर भूमि का आवंटन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत करने वालत।	आशियाना मंगलम् बिल्डर्स ने राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत निजी खातेदारी योजना गुलमोहर गार्डन्स के सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि में से कलब हाउस हेतु 2433 वर्गमीटर भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर पर चाहा है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर 2433 वर्गमीटर भूमि आशियाना मंगलम् बिल्डर्स को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
22.	13ए	107 ⁹ (13)	श्री प्रदीप मित्तल एवं श्री मनोज मित्तल को ग्राम कानोता में होटल प्रयोजनार्थ निजी खातेदारी की भूमि में से सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित 4854.06 वर्गमीटर भूमि का आवंटन राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत करने वालत।	श्री प्रदीप मित्तल एवं श्री मनोज मित्तल द्वारा ग्राम कानोता में होटल प्रयोजनार्थ 92227.25 वर्गमीटर निजी खातेदारी की भूमि में से सुविधा क्षेत्र हेतु छोड़ी गई 5 प्रतिशत 4854.06 वर्गमीटर भूमि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत आवासीय आरक्षित दर पर हरे पेड़ पौधे लगाने व खुले क्षेत्र के लिए आवंटन करने का अनुरोध किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूमि को हरे पेड़ पौधे लगाने व खुले क्षेत्र के लिए निजी खातेदार को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
23.	7	107 ⁹ (14)	मैसर्स मंगलम् बिल्ड ड्वलपर्स लिंग द्वारा निजी खातेदारी की आवासीय योजना वैशाली एस्टेट 'ए' में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 3777.28 वर्गगज व 1831.06 वर्गगज के भूखण्डों को अस्पताल हेतु राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत आवंटन करने वालत।	मैसर्स मंगलम् बिल्ड ड्वलपर्स लिंग द्वारा राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अन्तर्गत निजी खातेदारी की आवासीय योजना वैशाली एस्टेट 'ए' में सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि क्षेत्रफल 3777.28 वर्गगज व 1831.06 वर्गगज के भूखण्डों का आवंटन चाहा है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूमि मैसर्स मंगलम् बिल्ड ड्वलपर्स लिंग को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
24.	13ए	107 ⁹ (15)	ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 4 रकबा 240 बीघा 01 विस्वा किस्म गैर मुमकिन चरागाह में 2 बीघा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंग, जयपुर को आवंटन करने वालत।	उपायुक्त जोन-13ए ने ग्राम नायला तहसील जमवारामगढ़ के खसरा नं. 4 रकबा 240 बीघा 01 विस्वा गैर मुमकिन चरागाह में सृजित पत्रकार नगर योजना में आरक्षित भूखण्ड संख्या एफ-7 क्षेत्रफल 4841.72 वर्गमीटर कनिष्ठ अभियंता कार्यालय, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिंग के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या एफ-7 में से 1000 वर्गमीटर भूमि कनिष्ठ अभियंता कार्यालय हेतु योजना की आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। शेष भूमि की प्लानिंग कराई जावे।
25.	12	107 ⁹ (16)	मणिपाल यूनिवर्सिटी को लीजडीड के साइड प्लान में अतिक्रमित क्षेत्र में 6000 वर्गमीटर भूमि कम कर साइट प्लान में दर्शित ए व बी मार्क 6000 वर्गमीटर का आवंटन करने वालत।	मणिपाल विश्वविद्यालय, जयपुर ने अपने प्रार्थना पत्र में पूर्व आवंटित में से ई. एफ. जी. एच से प्रदर्शित विवादित भूमि लगभग 10340 वर्गमीटर के स्थान पर ए व बी पार्ट की त्रिकोणात्मक भूमि खसरा नं. 461 व 462 क्षेत्रफल 0.60 हैक्टेयर विनिमय चाहा है व शेष 4340 वर्गमीटर भूमि विश्वविद्यालय हेतु आवंटित भूमि से लगती अन्यत्र दी जाने का अनुरोध किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उपायुक्त जोन-12 के प्रस्तावानुसार उक्त 6000 वर्गमीटर भूमि विनिमय करने का निर्णय लिया गया। समस्त भूमि की माप कराई जाकर अतिक्रमणशुदा क्षेत्र चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जावे। तत्पश्चात इस भूमि के

उपायुक्त विकास प्राधिकरण (एव.वा.सा.)
उपायुक्त विकास प्राधिकरण

			उपयोग हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।	
26.	7	107 ⁹ (17)	भूखण्ड संख्या 5 व 6, अमर नगर (नेशनल गृ.नि.स.स.) से लगती हुई भू-पट्टी के आवंटन बाबत प्रा० प० द्वारा श्री आर.एस. गुप्ता एवं श्रीमति मंजु शर्मा	
			नेशनल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अमर नगर के भूखण्ड संख्या 5 व 6 से लगती हुई भू-पट्टी के आवंटन बाबत क्रमशः श्री आर. एस. गुप्ता व श्रीमति मंजु शर्मा द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उपायुक्त जोन-7 द्वारा आवेदकों को बढ़े हुये क्षेत्रफल की भूमि का आवंटन आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त बढ़े हुये क्षेत्रफल का कोई स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं होना भी व्यक्त किया है। भूखण्ड संख्या 5 व 6 का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल क्रमशः 138.12 वर्गगज व 174.37 वर्गगज है। जविप्रा को अधिकतम 100 वर्गगज तक भू-पट्टी आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आवंटन का अधिकार है। क्षेत्रफल अधिक होने से प्रकरण राज्य रारकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।	
27.	13	107 ⁹ (18)	राजस्व ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर के खसरा नं. 3395 रकबा 0.53 किस्म चरागाह जविप्रा स्वामित्व की भूमि में से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरा माचेडी के भवन हेतु 3800 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-13 ने ग्राम मानपुरा माचेडी तहसील आमेर के खसरा नं. 3395 रकबा 0.53 हैक्टेयर में से 3800 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। उक्त विद्यालय वर्ष 1961 से इस भूमि पर संचालित होना बताया है। अतः राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानपुरा माचेडी के भवन हेतु 3800 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
28.	7	107 ⁹ (19)	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जसवन्त नगर/के-5-सी स्कीम पार्क, खातीपुरा में उच्च जलाशय हेतु 650 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को जसवन्त नगर/के-5-सी स्कीम पार्क, खातीपुरा में उच्च जलाशय हेतु 650 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु एजेण्डा नोट उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि विभाग को उच्च जलाशय हेतु 500 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटित कर दी जावे। शेष भूमि के निस्तारण हेतु उपायुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
29.	5	107 ⁹ (20)	श्रीमति हरदेवी चावला को श्याम नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या एफ 258-259 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज के आवंटन बाबत।	राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 23 के अन्तर्गत श्रीमति हरदेवी चावला को श्याम नगर विस्तार के भूखण्ड संख्या एफ 258-259 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 33.33 वर्गगज को योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित की दुगुनी दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
30.	2	107 ⁹ (21)	वनस्थली मार्ग स्थित 20 साल पुराने श्याम मंदिर को अन्यत्र शिफ्ट करने बाबत।	वनस्थली मार्ग स्थित 20 साल पुराने श्याम मंदिर को अन्यत्र शिफ्ट किया जाना है। अतः भूखण्ड संख्या बी-5 व बी-6 के उत्तरी-पश्चिमी कोने में मानवित्र में प्रदर्शित 100 वर्गगज भूमि मंदिर निर्माण हेतु संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन-2 को निर्देशित किया गया कि वर्तमान मंदिर को शीघ्र हटाने की कार्यवाही करने हेतु प्रवर्तन शाखा को लिखा जावे।

आयुक्त महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त जोनों में भूमि आवंटन के निरस्त किये गये प्रकरणों की सूची मय आदेश अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) को अविलम्ब भिजवाया जावे।

आयुक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
विवास प्राधिकरण,
रायपुर विकास प्राधिकरण,
निर्देशित किया गया।

जयपुर डिस्कॉम व पी.एच.ई.डी. के लम्बित प्रकरणों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश भी उपायुक्त जोन-13 व 18 को दिये गये।

उपायुक्त जोन-7 को गुरुद्वारा के पास सुविधा क्षेत्र से मलबा हटाने के पश्चात् प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

५६
सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
प्राधिकरण, जयपुर
अधिकारी अधिकारी (एल.पी.सी.)
जयपुर आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, एवं नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलकटर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वारक्ष्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभियान्त्रिकी-द्वितीय / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / पश्चिम / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पत्ति निरस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ए, 11, 12, 12ए, 12बी, 13, 13ए, 14, 14ए, 15 से 19
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. सहायक निदेशक, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

५७
सदस्य सचिव (प्राधिकरण, जयपुर)
अधिकारी अधिकारी (एल.पी.सी.)
जयपुर आयुक्त (एल.पी.सी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 107वीं बैठक दिनांक 18.06.14 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री पवन अरोड़ा, सचिव	सदस्य
3.	श्रीमति लवंग शर्मा, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
4.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी-द्वितीय)	सदस्य
5.	श्रीमती नलिनी कठोरतिया, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री गिरि राज अग्रवाल, संयुक्त आयुक्त (आर०एम०एण्ड सी०)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री रामावतार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
8.	श्री सुनील भाटी, उपायुक्त जोन-7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री भागीरथ हावा, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन-11	विशेष आमंत्रित
11.	श्री बीरबल सिंह शेखावत, उपायुक्त जोन-13 व 13ए	विशेष आमंत्रित
12.	श्री नवल किशोर बैरवा, सहायक आयुक्त जोन-12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री मनोज सौलंकी, तहसीलदार जोन-2	विशेष आमंत्रित
14.	श्री बनवारी लाल सिनसिनवार, तहसीलदार जोन-14	विशेष आमंत्रित
15.	श्री लोकेन्द्र शिव मीणा, ए०टी०पी० जोन-2	विशेष आमंत्रित
16.	श्रीमती उषा जैन, सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित